CDM

रजिस्ट्री सं. डी. एल. (एन) 04/0007/2003—05 REGD. NO. D. L. (N) 04/0007/2003—05

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY
साप्ताहिक
WEEKLY

सं. 19] नई दिल्ली, मई 22—मई 28, 2016, शनिवार/ज्येष्ठ 1—ज्येष्ठ 7, 1938
No. 19] NEW DELHI, MAY 22—MAY 28, 2016, SATURDAY/JYAISTHA 1—JYAISTHA 7, 1938

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह पृथक संकलन के रूप में रखा जा सके
Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

भारत सरकार के मंत्रालयों (रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) और केन्द्रीय अधिकारियों (संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को छोड़कर) द्वारा विधि के अंतर्गत बनाए गए और जारी किए गए साधारण सांविधिक नियम (जिनमें साधारण प्रकार के आदेश, उप-नियम आदि सम्मिलित हैं)

General Statutory Rules (Including Orders, Bye-laws etc. of a general character) issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Central Authorities (other than the Administrations of Union Territories)

जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्रालय

नई दिल्ली, 6 मई, 2016

सा.का.नि.72.— राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और सिंचाई मंत्रालय, केन्द्रीय भूगर्भ जल बोर्ड (सहायक कलाकार) भर्ती नियम, 1981 को तथा जल संसाधन, केन्द्रीय भूमिगत जल बोर्ड, मुख्य नक्शानवीस भर्ती नियम, 2004 को उन बातों के सिवाय अधिक्रांत करते हुए जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पूर्व किया गया है, या करने का लोप किया गया है, जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्रालय, केन्द्रीय भूमिगत जल बोर्ड में मुख्य नक्शानवीस के पद पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्: -

1. संक्षित नाम और प्रारंभ : (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्रालय,केन्द्रीय भूमिगत जल बोर्ड, मुख्य नक्शानवीस भर्ती नियम, 2016 है।

(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

(3) **पदों की संख्या, वर्गीकरण, वेतन बैंड और ग्रेड वेतन या वेतनमान-** पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण, वेतन बैंड और ग्रेड वेतन या वेतनमान वे होंगे जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट हैं।

(4) **भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं, आदि-** भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से (13) में विनिर्दिष्ट हैं।

(5) **निरर्हता-** वह व्यक्ति-

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित हैं, विवाह किया है,

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है,

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :-

परंतु यदि केंद्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

(6) **शिथिल करने की शक्ति :-** जहां केंद्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं, उन्हें लेखबद्ध करके, तथा संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करके, इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।

6. व्यावृत्ति :- इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षणों, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केंद्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

अनुसूची

पद का नाम	पद संख्या	वर्गीकरण	वेतन बैंड और ग्रेड वेतन या वेतनमान	चयन या अचयन पद	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा	सीधे भर्ती किए जाने वाले वयक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं
1	2	3	4	5	6	7
मुख्य नक्शानवीस	19* (2016) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा समूह "ख" राजपत्रित, अननुसचिवीय	वेतन बैंड-2, 9300-34800 रु. + ग्रेड वेतन 4600 रु.	चयन	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नति व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं।	परिवीक्षा की अवधि यदि कोई हो	भर्ती की पद्धति: भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता।
8	9	10
लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	प्रोन्नति द्वारा, जिसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा जिसके अन्तर्गत अल्पावधि संविदा भी है ।

प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन किया जाएगा
11
प्रोन्नति: वेतन बैंड 2, 9300-34800 रु. में ऐसे नक्शानवीस जिन्होंने 4200 रुपये ग्रेड वेतन में पांच वर्ष की नियमित सेवा की है और जिन्होंने राजीव गांधी राष्ट्रीय भूमिगत जल प्रशिक्षण और अनुसंधान संस्थान, केंद्रीय भूमिगत जल बोर्ड, रायपुर से न्यूनतम सोलह सप्ताह के प्रवेश स्तरीय प्रशिक्षण को सफलतापूर्वक पूरा किया है । **टिप्पण :-** जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में, जिन्होंने अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो, वहां उनके ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परंतु यह तब जब कि उसके द्वारा की गई ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक या पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित, जिन्होंने ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो । **टिप्पण :-**प्रोन्नति के लिए न्यूनतम अर्हक सेवा की संगणना करने के प्रयोजन के लिए किसी अधिकारी द्वारा 01 जनवरी, 2006 से पहले या उस तारीख से जिससे छठे केंद्रीय वेतन आयोग की सिफ़ारिशों पर आधारित पुनरीक्षित वेतन संरचना का विस्तार किया गया है, नियमित आधार पर की गयी सेवा को उक्त वेतन आयोग की सिफ़ारिशों पर आधारित विस्तारित तत्स्थानी ग्रेड वेतन या वेतनमान पर की गयी सेवा समझी जाएगी। प्रतिनियुक्ति (जिसके अन्तर्गत अल्पावधि संविदा भी है): केन्द्रीय सरकार/ राज्य सरकार/ पब्लिक सेक्टर उपक्रम/ स्वायत्त और कानूनी निकायों, मान्यता प्राप्त अनुसंधान संस्थानों विश्वविद्यालयों के अधीन ऐसे अधिकारी: (क)(i) जो मूल काडर/ विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हैं; या (ii) जिन्होंने वेतन बैंड 2 (रुपये 9300-34800)+ ग्रेड वेतन 4200 रुपये में पांच वर्ष की नियमित सेवा की है, और **(ख)** जिनके पास नीचे दी गई शैक्षिक अर्हताएं और अनुभव हैं: (i) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से सिविल या यांत्रिकी इंजीनियरी में डिग्री; या (ii) सिविल या यान्त्रिकी इंजीनियरी में डिप्लोमा के साथ नक्शानवीस के रूप में तीन वर्ष का अनुभव; या (iii) नक्शानवीसी में डिप्लोमा के साथ नक्शानवीस के रूप में सात वर्ष का अनुभव

टिप्पण 1: प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है साधारतया 3 वर्ष से अधिक नहीं होगी। प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु-सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी।

टिप्पण 2: पोषक प्रवर्ग के ऐसे विभागीय अधिकारी, जो प्रोन्नति की सीधी पंक्ति में हैं, प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। इसी प्रकार प्रतिनियुक्त व्यक्ति प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे।

टिप्पण 3: प्रतिनियुक्ति के लिए न्यूनतम अर्हक सेवा की संगणना करने के प्रयोजन के लिए किसी अधिकारी द्वारा 01 जनवरी, 2006 से पहले या उस तारीख से जिससे छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित पुनरीक्षित वेतन संरचना का विस्तार किया गया है, नियमित आधार पर की गई सेवा को, सिवाय उस दशा के, जहां एक से अधिक पूर्व पुनरीक्षित वेतनमान का साधारण ग्रेड या वेतनमान सहित एक श्रेणी में विलय हो गया है और वहां यह लाभ केवल उस पद (उन पदों) पर विस्तारित होगा जिसके लिए ग्रेड वेतन या वेतनमान बिना किसी उन्नयन का साधारण प्रतिस्थापन ग्रेड है उक्त वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित विस्तारित तत्स्थानी ग्रेड वेतन या वेतनमान में की गई सेवा समझी जाएगी।

यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है तो उसकी संरचना	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा
12	13
समूह 'ख' विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति के संबंध में विचार करने के लिए) जिसमें निम्नलिखित होंगे:-	
1. अध्यक्ष, केन्द्रीय भूमिगत जल बोर्ड - अध्यक्ष 2. सदस्य (वैज्ञानिक), केन्द्रीय भूमिगत जल बोर्ड - सदस्य 3. जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्रालय में केन्द्रीय भूमिगत जल बोर्ड में कार्य पर्यवेक्षक/ निदेशक/ उपसचिव - सदस्य 4. निदेशक (प्रशासन), केन्द्रीय भूमिगत जल बोर्ड - सदस्य	संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक नहीं है।

[फा.सं. 21/06/2010-सीजीडब्ल्यूबी]

विनीत अब्राहम, अवर सचिव

MINISTRY OF WATER RESOURCES, RIVER DEVELOPMENT AND GANGA REJUVENATION

New Delhi, the 6th May, 2016

G.S.R.72.— In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution and in supersession of the Ministry of Irrigation, Central Ground Water Board (Assistant Artist) Recruitment Rules, 1981, and Ministry of Water Resources, Central Ground Water Board, Chief Draftsman Recruitment Rules, 2004 except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the post of Chief Draftsman in the Ministry of Water Resources, Central Ground Water Board, namely:-

1. **Short title and commencement.**-(1) These rules may be called the Ministry of Water Resources, Central Ground Water Board, **Chief Draftsman** Recruitment Rules, 2016.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. **Number of post, classification and the pay band, grade pay or pay scale.-** The number of the said post, its classification and the pay band, grade pay or pay scale attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.

3. **Method of recruitment, age limit, qualifications, etc.-** The method of recruitment, age limit, qualifications and other matters relating thereto shall be as specified in columns (5) to (13) of the said Schedule.

4. **Disqualifications.-** No person,-

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or

(b) who having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said post:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

5. **Power to relax.-** Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order and for reasons to be recorded in writing and in consultation with the Union Public Service Commission, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

6. **Saving.-** Nothing in these rules shall affect reservations, relaxation of age limit and other concessions required to be provided for Scheduled Castes, Scheduled Tribes, ex-servicemen, and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of post	Number of post	Classification	Pay Band and Grade Pay/Scale of pay	Whether selection post or non-selection post
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Chief Draftsman	19* *(2016) Subject to variation dependent on workload.	General Central Service (Group 'B'), Gazetted, non-Ministerial.	Pay Band-2, Rs.9300-34800 +Grade Pay Rs.4600.	Selection

Age- limit for direct recruits	Educational and other qualifications required for direct recruits	Whether age and educational qualification prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees	Period of probation, if any.	Method of recruitment : whether by direct or by promotion or deputation/absorption and percentage of the post to be filled by various method
(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
Not applicable	Not applicable	Not applicable	Not applicable	Promotion failing which by deputation including short term contract

In case of recruitment by promotion / deputation / absorption grade from which promotion / deputation / absorption is to be made.	If a Departmental Promotion Committee exist, what is its composition.	Circumstances in which Union Public Service Commission to be consulted in making recruitment.
(11)	(12)	(13)
Promotion: Draftsman in the Pay band 2, Rs.9300-34800 with five years regular service in the grade pay of Rs.4200 and successful completion of a minimum sixteen weeks induction level training from Rajiv Gandhi National Ground Water Training and	**Group'B' Departmental Promotion Committee for considering promotion consisting of:-** 1. Chairman, Central Ground Water Board – Chairman 2. Member (Scientific), Central Ground Water Board – Member 3. Director/Deputy Secretary looking	Consultation with Union Public Service Commission not necessary.

Research Institute, Central Ground Water Board, Raipur. **Note** : Where juniors who have completed their qualifying/eligibility service are being considered their seniors would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying / eligibility service by more than half of such qualifying / eligibility service or two years whichever is less and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade alongwith their juniors who have completed such qualifying or eligibility service. Deputation (Including short term contract): Officers under the Central Government / State Government / Public Sector Undertakings/ Autonomous and Statutory Bodies, Recognized Research Institutions and Universities, (a)(i) holding analogous posts on a regular basis in the present cadre / department; or (ii) with five year's regular service in posts in Pay Band-2, Rs.9300-34800 with grade pay of Rs.4200 in the parent cadre / department; and (b) possessing the educational qualification and experience as under:- (i) Degree in Civil or Mechanical Engineering from a recognised university or institution; or (ii) Diploma in Civil or Mechanical Engineering with three years experience as Draftsmanship; or (iii) Diploma in Draftsmanship with seven years experience as Draftsman. **Note 1:** Period of deputation including period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation / department of the Central Government shall ordinarily not to exceed three years. The maximum age limit for appointment by deputation shall be not exceeding 56 years as on the closing date of the receipt of application.	after Central Ground Water Board in the Ministry of Water Resources, River Development and Ganga Rejuvenation – Member; 4. Director (Administration), Central Ground Water Board – Member.	

N[illegible] 2: The departmental officer in the feeder category shall not be eligible for appointment on deputation. Similarly, the deputationist shall not be eligible for consideration for appointment by promotion. **Note 3:** For the purpose of computing minimum qualifying service for promotion, the service rendered on a regular basis by an officer prior to 1st January, 2006 or the date from which the revised pay structure based on the recommendations of the 6th Central Pay Commission has been extended, shall be deemed to be the service rendered in the corresponding grade pay or pay scale extended based on the recommendations of the said Pay Commission except where there has been merger of more than one pre-revised scale of pay into one grade with a common grade pay or pay scale, and where this benefit shall be extend only for the post(s) for which that grade pay or pay scale is the normal replacement grade without any upgradation.		

[F.No.21/06/2010-CGWB]

VINEETH ABRAHAM, Under Secy.

वस्त्र मंत्रालय

नई दिल्ली, 18 मई, 2016

सा.का.नि.73.— राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए वस्त्र आयुक्त का कार्यालय (समूह ग और घ) गैर-राजपत्रित पद भर्ती नियम, 1989 को उन बातों के सिवाय जहां तक संबंध आर्थिक सहायता के पद से है अधिक्रांत करते हुए, जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पूर्व किया गया है या करने का लोप किया गया है, वस्त्र आयुक्त का कार्यालय, वस्त्र मंत्रालय में आर्थिक सहायक के पद पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात:-

1. संक्षित नाम और प्रारंभ :

(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम वस्त्र आयुक्त का कार्यालय, आर्थिक सहायक (समूह 'ग' अराजपत्रित पद) भर्ती नियम, 2016 है।

(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. पदों की संख्या, वर्गीकरण, वेतन बैंड और ग्रेड वेतन या वेतनमान- पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण, वेतन बैंड और ग्रेड वेतन या वेतनमान वे होंगे जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट हैं।

3. भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं, आदि- भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से (13) में विनिर्दिष्ट हैं।